दिनांक 14.07.2021 को आयोजित वित्तीय वर्ष 2021-22 अंतर्गत आत्मा प्रबंधन समिति (AMC) की प्रथम बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति - पंजी में अलग से संधारित

वित्तीय वर्ष 2021-22 अंतर्गत Sub Mission on Agriculture Extension(SMAE) के स्वीकृत कार्य योजना पर किसान उपयोगी प्रसार गतिविधियों हेतु प्रस्ताव निम्नांकित हैं-
प्रस्ताव सं0 1(क). - अंतर्राज्यीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 01 इकाई का लक्ष्य है जिसमें 25 किसानों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रु.1,56,000.00 की राशि अंतर्गत व्यय का प्रावधान है। उक्त कार्यक्रम हेतु Indira Gandhi Krishi Viswavidyalaya, Raipur, Chhatisgar में Enlarging the Food Basket विषय पर संपादित कराया जायेगा।

(ख). राज्य स्तरीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम 02 इकाई का लक्ष्य है जिसमें 25 किसान प्रति इकाई पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल रु.2,50,000.00 की राशि (रु.1,25,000/- प्रति इकाई) अंतर्गत व्यय का प्रावधान है। उक्त को उद्यान विषय पर संस्थान ICAR, Research Complex, Plandu, Ranchi अथवा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची अथवा जैसमिन प्रशिक्षण संस्थान, नगडी, राँची अथवा रामकृष्ण मिशन, मोराबादी, राँची किन्ही दो संस्थन से संपर्क कर संपादित कराया जा सकता है।

(ग). - जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम (34) इकाई जिसमें 30 किसानों को चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने का लक्ष्य है, जिसमें कुल रु.12,24,000.00 की राशि (रु.36,000/- प्रति इकाई) व्यय करने का प्रावधान है। प्रशिक्षण विषय कृषि पर 13 इकाई, उद्यान 08, मत्स्य 01 एवं संसाधन प्रबंधन 01 इकाई चिन्हित कर संपादित कराया जाना है।

नोट : उपरोक्त सभी स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कोविड-19 के ससमय प्राप्त होने वाले दिशा निर्देश के आलोक में अनुपालन के साथ संपादित कराया जायेगा।

प्रस्ताव सं0 2 (क). - कृषि प्रत्यक्षण 37 इकाई, जिसमें रु.1,48,000.00 की राशि (रु.4,000/- प्रति इकाई) व्यय करने का प्रावधान है। जिसमें खरीफ एवं रबी मौसम में अनाज, दलहन, एवं तिलहन फसल पर प्रत्यक्षण कराया जा सकता है।

(ख). - कृषि संबद्ध प्रत्यक्षण 140 इकाई, जिसमें रु.5,60,000.00 की राशि (रु.4,000/- प्रति इकाई) व्यय करने का प्रावधान है। जिसमें उद्यान विषय 84, पशुपालन 03, संसाधन प्रबंधन 03 एवं अन्य 50 इकाई पर प्रत्यक्षण कराया जा सकता है।

प्रस्ताव सं0 3(क). - अंतर्राज्यीय कृषक परिभ्रमण कार्यक्रम हेतु 01 इकाई का लक्ष्य है जिसमें 25 किसानों को सात दिवसीय परिभ्रमण कार्यक्रम रु.2,00,000.00 की राशि अंतर्गत व्यय का प्रावधान है। राज्य Bihar, Chhatisgar, Odisha एवं West Bengal में से किसी एक Exposure Sites पर संपादित कराया जा सकता है।

(ख). - राज्य स्तरीय कृषक परिभ्रमण कार्यक्रम 03 इकाई 25 किसानों को पांच दिवसीय परिभ्रमण कार्यक्रम का लक्ष्य है, जिसमें कुल रु.1,12,500.00(रु.37,500/- प्रति इकाई) राशि अंतर्गत व्यय करने का प्रावधान है। Hi-tech Horticulture Technologies विषय पर राज्य के जैसमीन नगड़ी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची एवं ICAR, Research Complex, Plandu, Ranchi संस्थान में पूर्ण किया जा सकता है।

(ग). - जिला स्तरीय कृषक परिभ्रमण कार्यक्रम (36) इकाई, जिसमें 30 किसानों को एक दिवसीय परिभ्रमण कार्यक्रम का लक्ष्य है, जिसमें कुल रु.3,24,000.00(रु.9,000/- प्रति इकाई) की राशि अतर्गत व्यय करने का प्रावधान है। तकंनीकी विषयों जैसे कृषि 07, उद्यान 23, पशु पालन 06 इकाई पर कार्यक्रम संपादित किया जाना है।

S1

नोट : उपरोक्त सभी स्तर के परिभ्रमण कार्यक्रमों को कोविड-19 केससमय प्राप्त होने वाले दिशा निर्देश के आलोक में अनुपालन के साथ संपादित कराया जायेगा।

प्रस्ताव सं0 4(क). – क्षमता विकास अंतर्गत कृषक अभिरुची समुह 36 इकाई का लक्ष्य है, जिसमें रु. 1,80,000.00(रु.5,000/– प्रति इकाई) की राशि व्यय करने का प्रावधान है। जिसके अतंर्गत बी.टी.एम/ ए.टी.एम/ जनसेवक के द्वारा समुह निर्माण कार्य किया जाना है।

(ख). – सीड मनी अंतर्गत छः(07) इकाई का लक्ष्य है, जिसमें कुल रु.70,000.00(रु.10,000/– प्रति इकाई) की राशि व्यय करने का प्रावधान है। उद्यानिक कार्य से संबद्ध रखने वाले समुह पर बी.टी.एम/ए.टी. एम/जनसेवक के द्वारा समुह निर्माण कार्य किया जाना है।

(ग). – खाद्य सुरक्षा दल(मात्र महिला समुह हेतु) छः(04) इकाई का लक्ष्य है, जिसमें रु.40,000.00(रु. 10,000/– प्रति इकाई) की राशि व्यय करने का प्रावधान है। उद्यानिक कार्य से संबद्ध रखने वाले समुह पर बी.टी.एम/ ए.टी.एम/ जनसेवक के द्वारा समुह निर्माण कार्य किया जाना है।

प्रस्ताव सं0 5 – किसान मेला एक(01) इकाई का लक्ष्य है, जिसमें रु.4,00,000.00 की राशि अतर्गत व्यय करने का प्रावधान है। नोट : उपरोक्त सभी स्तर के परिभ्रमण कार्यक्रमों को कोविड-19 के ससमय प्राप्त होने वाले दिशा निर्देश के आलोक में अनुपालन के साथ संपादित कराया जायेगा।

प्रस्ताव सं0 6 – प्रचार प्रसार 05 इकाई जिसमें रु.1,00,000.00(रु.20,000/– प्रति इकाई) की राशि अतर्गत व्यय करने का प्रावधान है। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक कृषि, संरक्षित कृषि, मशरुम उत्पादन एवं मत्स्य/पशुपालन/गव्य विषय पर बनवाया जा सकता है।

प्रस्ताव सं0 7 – Technology e-package इलेक्ट्रोनिक माध्यम से 01 इकाई, जिसमें रु.20,000.00 की राशि व्यय का प्रावधान है। उद्यान विषय पर बनवाया जाना है।

प्रस्ताव सं0 8 – कृषक वैज्ञानिक अंतरमिलन कार्यकम 02 इकाई, जिसमें रु.40,000.00(रु.20,000/– प्रति इकाई) की राशि व्यय करने का प्रावधान है। बिशुनपुर एवं पालकोट प्रखण्ड में किया जा सकता है।

प्रस्ताव सं0 9 – कृषक गोष्ठि कार्यकम 24 इकाई, जिसमें रु.3,60,000.00(रु.15,000/– प्रति इकाई) की राशि व्यय करने का प्रावधान है। बी.टी.एम/ए.टी.एम/जनसेवक माध्यम से के0भी0के, गुमला के संयुक्त सहयोग से कार्यकम सम्पन्न करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव सं0 10 – कृषक पाठ्शाला छत्तीस(36) इकाई का लक्ष्य प्राप्त है, जिसमें रु.10,58,904.00(रु. 29,414/– प्रति इकाई) की राशि व्यय करने का प्रावधान है। विषय कृषि 34 एवं पशुपालन में 02 इकाई किया जा सकता है।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

30/7/21
उप परियोजना निदेशक
आत्मा, गुमला।

Sd/ 30/7/21
परियोजना निदेशक
आत्मा, गुमला।

ज्ञापांक : 133/आत्मा, दिनांक : 30-07-2021
प्रतिलिपि : सभी संबंधित सदस्य आत्मा प्रबंधक सतिति को सूचनार्थ समर्पित।

Sd/ 30/7/21
परियोजना निदेशक
आत्मा, गुमला।